न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 104/2022

वादीगण :–

1. श्रीमति लीलादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी ओमाराम जाति जाट निवासी सीरवीयों का बास ग्राम बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. श्रीमति नैनादेवी पुत्री स्व.पेमाराम पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी खारवालों का बास ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. श्रीमति भीकीदेवी पुत्री स्व.पेमाराम पत्नी शिवलाल जाति जाट निवासी ग्राम रेपडावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रवण पुत्र बीरमराम
2. कालची पत्नी बीरमराम
3. सुमन पुत्री बीरमराम
4. शोभा पुत्री बीरमराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कालची पत्नी बीरमराम
5. अशोक पुत्र बीरमराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कालची पत्नी बीरमराम जातियान जाट निवासीगण जाटों का बास ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादी – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 5– श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 14/07/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का धर्म हिन्दू है। राजस्व ग्राम पड़ासला कलाँ, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 116/1 रकबा 0.5582 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम, खसरा संख्या 282/1 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर आई हुई है। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता संख्या 42 है तथा उक्त जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार उपरोक्त खेसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/10 व० हिस्सा दर्ज है। यानि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कुल 1/2 हिस्सा दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा जो कि राजी पत्नी पेमाराम यानि वादीगण की माता के नाम दर्ज था, जिसे वादीगण की माता राजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.08.2022 को वादीगण को बख्शीश कर दिया तथा उक्त बख्शीशनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 967 उक्त जमाबन्दी में दर्ज होकर प्रक्रियाधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से उपरोक्त खसरान की भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृ

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

षि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का वंशावली वाद के पैरा सं. 3 में वर्णितानुसार है। उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार पेमाराम पुत्र हरीराम वादीगण के पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. पेमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण व वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम है तथा वादीगण के भाई बीरमराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. बीरमराम के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में ढगलाराम पुत्र धन्नाराम व पेमाराम पुत्र हजारीराम के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 116 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 282 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 281 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 484 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 485/1 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 485/2 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 500 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 103 बीघा 11 बिस्वा थे तथा जिसमें वादीगण के पिता पेमाराम का 1/2 हिस्सा था। बादीगण के पिता पेमाराम निर्वसीयत फौत हुए, वादीगण के पिता पेमाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 368 वादीगण की माता राजीदेवी व वादीगण के भाई बीरमराम के नाम दर्ज किया गया। जबकि वादीगण भी पेमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में वादीगण का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिए था क्योकि वादीगण के पिता पेमाराम निर्वसीयत फौत होने से तथा वादीगण स्व. पेमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण धारा 8 हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का भी वादीगण के भाई बीरमराम व माता राजीदेवी के बराबर उपरोक्त खसरान की भूमि में दर्ज पेमाराम के 1/2 हिस्से में बराबर-बराबर हक व अधिकार निहित है व बनता है। यानि स्व. पेमाराम की 1/2 हिस्से की भूमि में स्व. पेमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण व उसकी माता राजी व भाई बीरमराम प्रत्येक का 1/5-1/5 वा हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है। पेमाराम के 1/2 हिस्से की भूमि जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 368 द्वारा वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के नाम दर्ज होने के बाद उनके द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि का बंटवाड़ा कर दिया तथा बंटवाड़ा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 388 द्वारा वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के नाम खसरा संख्या 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 484 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 485/2 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 500 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 485/1 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की गयी। वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के नाम से बंटवाड़ा के आधार पर दर्ज की गयी भूमि में वादीगण का हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार प्रत्येक वादीगण का 1/5 व० हिस्सा निहित व बनता है। यानि प्रत्येक वादीगण के 1/5 व० हिस्सा में रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा 04 बिस्वांशी भूमि हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार हिस्से में आती है तथा वादीगण के भाई बीरमराम व माता राजी के भी हिस्से में 1/5-1/5 व० हिस्से की भूमि यानि रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा 04 बिस्वांशी रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा 04 बिस्वांशी भूमि हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार हिस्से में आती है। वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम द्वारा खसरा संख्या 485/2 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 10 बीघा भूमि वादीगण की माता राजी व बीरमराम द्वारा क्रेता लीला पत्नी हरीराम जाति जाट को बैचान कर दी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तथा उक्त बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 504 द्वारा खरीदसुदा भूमि की खातेदारी क्रेता लीला के नाम दर्ज की गयी। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 485/4 रकबा 1.6180 हैक्टेयर है। इसके बाद वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खसरा संख्या 500/1 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.06.2021 द्वारा क्रेता मीरादेवी पत्नी भीयाराम जाति जाट को बैचान कर दी तथा उक्त बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 920 द्वारा खरीदसुदा भूमि की खातेदारी क्रेता मीरा के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार वादीगण की माता राजी व वादीगण के भाई बीरमराम व उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा उपरोक्त दोनो खसरान में से कुल रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि उपरोक्त क्रेतागण को बैचान कर दी। इस प्रकार वादीगण की माता राजी व वादीगण के भाई बीरमराम व उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खसरा संख्या 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 484 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 485/2 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 500 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 485/1 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा में निहित अपने 2/5 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा 08 बिस्वांशी से ज्यादा हिस्से की भूमि यानि रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा उपरोक्त क्रेतागण को बैचान कर दी है। इसलिए वादीगण की माता राजी व वादीगण के भाई बीरमराम के वारिसान का शेष भूमि खसरा संख्या 116/1 रकबा 0.5582 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम, खसरा संख्या 282/1 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का ही हक व अधिकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व वादीगण की माता राजी को वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो वादीगण की माता राजी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.08.2022 द्वारा वादीगण को बख्शीश कर दी तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में शेष 1/2 हिस्सा की भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है उनके द्वारा शेष वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाने से दिनांक 08.08.2022 को इन्कार कर दिया। जबकि शेष 1/2 हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त दोनो बैचान के बाद हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नही बनता है तथा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज शेष 1/2 हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा का खातेदार वादीगण को घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व उसके पिता बीरमराम द्वारा अपना वाद

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित खसरान की भूमि में निहित हिस्से की भूमि क्रेतागण लीला व मीरादेवी को बैचान करने के बाद कानूनन किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण के हक व हिस्से की भूमि है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादीगण के नाम से दर्ज करवाने से दिनांक 08.08.2022 को इन्कार कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे से आगे बैचान करने पर आमादा है तथा इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आम मुख्त्यारनामा भी भीयाराम पुत्र भागूराम जाति विश्नोई के पक्ष में दिनांक 22.03.2022 को निष्पादित किया है तथा भीयाराम द्वारा उक्त आम मुख्त्यारनामा के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तथा वादीगण को जबरन बेदखल कर देगे। जिससे वादीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता पेमाराम के नाम दर्ज होने तथा पेमाराम निर्वसीयत फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 368 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के नाम से ही दर्ज होने से जबकि वादीगण भी स्व. पेमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का भी स्व. पेमाराम के हिस्से की भूमि में वादीगण का भी वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम के बराबर-बराबर हक व हिस्सा निहित होने से तथा फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर स्व. पेमाराम के हिस्से की भूमि वादीगण के माता राजी व भाई बीरमराम के नाम दर्ज होने के बाद उनके द्वारा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित उनके हिस्से की भूमि क्रेतागण लीला व मीरा को बैचान किये जाने के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार उनका किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा शेष नही रहने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का ही हक निहित होने से वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व राजी को वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन करने पर राजी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.08.2022 द्वारा वादीगण के नाम दर्ज कर देने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 08.08.2022 को वादीगण के नाम से दर्ज करवाने से इन्कार करने पर बमुकाम ग्राम पड़ासला कल० तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ। जो सतत् जारी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पड़ासला कलाँ, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 116/1 रकबा 0.5582 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम, खसरा संख्या 282/1 रकबा

1.4077 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के सम्बंध में घोषित खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का दिनांक 22.07.2024 को जवाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्रीमति लीलादेवी पुत्री स्व. पेमाराम पी.डब्ल्यू. 1 तथा श्रीमति नैनादेवी पुत्री स्व.पेमाराम पी.डब्ल्यू. 2 का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नम्बर 42, 334, 407 ग्राम पडासलां कलां प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 खाता सं. 80 ग्राम पडासलां कलां, प्रदर्श 3 रजिस्टर्ड बख्शीशनामा राजी बहक वादीगण, प्रदर्श 4 आम मुख्त्यारनामा प्रतिवादी सं. 1 व 2 बहक भीयाराम, प्रदर्श 5 वादीगण के आधार कार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 116/1 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा संख्या 282/1 रकबा 1.4077 हैक्टेयर, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 प्रत्येक का 1/10 वां हिस्सा दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा जो कि राजी पत्नी पेमाराम यानि वादीगण की माता के नाम दर्ज था, जिसे वादीगण की माता राजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.08.2022 को वादीगण को बख्शीश कर दिया तथा उक्त बख्शीशनामा के आधार पर म्यूटेशन सं. 967 प्रक्रियाधीन है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज शेष 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम से खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, फॉर्म नं. 3 के साथ संलग्न दस्तावेज का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में ढगलाराम व पेमाराम के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता पेमाराम का 1/2 हिस्सा था वादीगण के पिता पेमाराम निर्वसीयत फौत हुए, वादीगण के पिता पेमाराम का फौतेदगी म्यूटेशन सं. 368 वादीगण की माता राजीदेवी व वादीगण के भाई बीरमराम के नाम दर्ज किया गया। जबकि वादीगण भी पेमाराम के हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में वादीगण का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। राजस्व जमाबंदी संवत् 2053-2056 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार खातेदार ढगलाराम व पेमाराम की पत्नी,पुत्र के मध्य नामा. सं. 388 के जरिये बंटवाडा किया गया जिसके तहत खातेदार पेमाराम की पत्नी व पुत्र के हिस्से में खसरा नंबर 282, खसरा नंबर 116, खसरा नंबर 484, खसरा नंबर 485/2, खसरा नंबर 500, खसरा नंबर 485/1 कुल 6 खसरे कुल रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई। वादीगण की माता राजी व भाई बीरमराम द्वारा खसरा नंबर 485/2 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 10 बीघा भूमि का बैचान क्रेता लीला पत्नी हरीराम जाति जाट के पक्ष में निष्पादित किया गया। क्रेता लीला पत्नी हरीराम का नाम नामान्तरकरण सं. 504 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इसी प्रकार वादीगण की माता व प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा खसरा नंबर 500/1 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 15.06.2021 द्वारा क्रेता मीरादेवी पत्नी भीयाराम को बैचान किया गया जिसके उपरान्त क्रेता का नामान्तरकरण सं. 920 के तहत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होने के नाते बराबर का हक व अधिकार रखती है। पेमाराम पुत्र हरीराम के फौत के बाद केवल वादीगण की माता व भाई के नाम ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया जबकि वादीगण भी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होने से वादीगण व वादीगण की माता व भाई का 1/5-1/5 हिस्सा बनता है, किन्तु वादीगण की माता व भाई/भाई वारिसानों द्वारा हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत निहित हिस्से से अधिक का बैचान कर दिया गया। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादीगण की माता व भाई/भाई के वारिसानों का अब शेष वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादीगण द्वारा निवेदन करने पर वादीगण की माता राजी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.08.2022 द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया। वादीगण का नाम जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में शेष 1/2 हिस्सा की भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम से राजस्व रेकर्ड कें इन्द्राज है वादीगण की उक्त साक्ष्य का प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं न ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिस पर वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि में शेष 1/2 हिस्सा पैतृक संपति होने से हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण राजस्व रेकर्ड में घोषणा कराने की अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 116/1 रकबा 0.5582

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम, खसरा संख्या 282/1 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण को हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम तहत प्रथम श्रेणी वारिसान होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
लीला वगैराह श्रवण वगैराह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :- 104/2022

निर्णय **दिनांक :-** 14/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 116/1 रकबा 0.5582 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम, खसरा संख्या 282/1 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 484/1 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा संख्या 485/1 रकबा 1.1164 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 485/3 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.5790 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण को हिन्दु उताधिकारी अधिनियम तहत प्रथम श्रेणी वारिसान होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा